रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032020-218860
CG-DL-E-23032020-218860

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941
No. 122] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

MkDVj gjhflg xkj fo'ofo|ky;

vf/klpuk

सागर, 11 मार्च, 2020

Qk- l- Mh,p,lth;@20@ifjfu;e@7@414.—केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की धारा 20की उपधारा 1 सपठित धारा 27 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद कुलाध्यक्ष की सहमति से एतद्द्वारा डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमों में संशोधन के उद्देश्य से, जैसा कि कथित अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में वर्णित है, निम्नलिखित परिनियम बनाती है, यथाः–

1. lf{klr uke vkj ikjEHk &

(1) ये परिनियम डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम (संशोधन) परिनियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. MkDVj gjhflg xkj fo'ofo|ky; d iFke ifjfu;ek के परिनियम 9 के बाद निम्नलिखित सन्निविष्ट किये जाएंगे :–

^^9v- fo'ofo|ky; dkV dk xBu

¼1½ dkV e fuEufyf[kr lnL; gkx] ;Fkk %&

dyk/kifr ¼inu v/;{k½

¼d½ inu lnL;

(i) कुलपति;

(ii) प्रतिकुलपति, यदि हों

(iii) छात्र कल्याण अधिष्ठाता;
(iv) कुलसचिव;
(v) पुस्कालयाध्यक्ष;
(vi) कुलानुशासक;
(vii) वित्ताधिकारी

¼[k½ v/;;u'kkykvks vkSj foHkkxks ds izfrfuf/k

(i) अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता, पदेन;
(ii) समस्त विभागाध्यक्ष, पदेन;
(iii) प्रत्येक विभाग से विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्रोफेसर जिसे कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में द्वारा नामित किया जायेगा;
(iv) दो एसोसिएट प्रोफेसर, जो विभागाध्यक्ष न हों तथा दो असिस्टेण्ट प्रोफेसर, जिन्हें कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामित किया जायेगा;

¼x½ lEc) egkfo|ky;ksa ds izfrfuf/k

(i) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में महाविद्यालयों के पाँच प्राचार्य, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामित;

(ii) विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में महाविद्यालयों के चार शिक्षक, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामित;

¼?k½ f'k"V O;olk;ksa rFkk fo'ks"k :fp dk izfrfuf/kRo djus okyk O;fDr
पांच व्यक्ति जो शिष्ट व्यवसायों एवं विशेष रूचि का प्रतिनिधित्व करते हों जिसमें उद्योग, वाणिज्य, बैंकिंग एवं कृषि सम्मिलित है, को कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा।

¼³½ iwathd`r iqjkNk=ksa ds izfrfuf/k
कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के पंजीकृत पुराछात्रों के दो प्रतिनिधि।

¼p½ fo|kfFkZ;ksa ds izfrfuf/k
कुलपति द्वारा नामित दो विद्यार्थी।

¼N½ xSj&शैkf{kf.kd deZpkfj;ksa ds izfrfuf/k
(i) कुलपति द्वारा नामित गैर&शैक्षणिक कर्मचारियों के दो सदस्य;
(ii) राज्य शासन द्वारा नामित मध्य प्रदेश शासन के उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित दो व्यक्ति;?

¼t½ dk;Zifj"kn ds 'ks"k lnL;
कार्यपरिषद के ऐसे सदस्य जो अन्यथा कोर्ट के सदस्य नहीं हैं।

परन्तु विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्थान का कोई भी कर्मचारी मद सं. (घ) और (ङ) के तहत कोर्ट का सदस्य होने हेतु योग्य नहीं होगा।

(2) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कोर्ट के समस्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा :–

परन्तु खण्ड (1) के उपखण्ड (च) के तहत विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों की सदस्यता उनके विद्यार्थी बने रहने तक ही होगी।

(3) कोर्ट की बैठक हेतु कोरम कोर्ट के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

3. उपर्युक्त परिनियमों में परिनियम 10, खण्ड (5) विलोपित होगा;

ukV % परिनियम 10(5) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. 25, भाग II खण्ड–1 दिनांक 20.03.2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था। परिनियम केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का भाग था।

कर्नल राकेश मोहन जोशी, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./507/19]

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA,

NOTIFICATION

Sagar, the 11th March, 2020

F. No. dhsgu/20/Statute/7/414.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 read with sub-section (2) of section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council of Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya with the assent of the Visitor, hereby makes the following Statutes

further to amend the first Statutes of the Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, as set out in the Second Schedule to the set Act, namely:-

1. Short title and commencement -

(1) These Statutes may be called as the first Statutes of the Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya (Amendment) Statutes, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the first Statutes of the Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya, after Statute 9 the following Statute shall be inserted, namely;-

"9A. Constitution of Court.

(1) ***The Court shall consist of the following members, namely;-***

Chancellor (Ex-officio Chairperson)

(a) Ex-officio members

(i) Vice-Chancellor

(ii) Pro-Vice-Chancellor, if any

(iii) Dean of Student's Welfare;

(iv) Registrar;

(v) Librarian;

(vi) Proctor;

(vii) Finance Officer;

(b) Representatives of Schools and Departments

(i) Deans of Schools of Studies, ex-officio;

(ii) All Heads of Departments, ex-officio;

(iii) One Professor from each department other than Head by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor;

(iv) Two Associate Professors, who are not Heads of Departments, and two Assistant Professors by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor;

(c) Representatives of Affiliated Colleges

(i) Five Principals of Colleges in the jurisdiction of the University by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor;

(ii) Four teachers from affiliated Colleges in the jurisdiction of the University by rotation to be nominated by the Vice-Chancellor;

(d) Persons representing learned professions and special interests

Five members representing learned professions and special interests including representatives of industry, commerce, banking and agriculture, to be nominated by the Visitor.

(e) Representatives of the Registered Alumni

Two representatives of the Registered Alumni of the University to be nominated by the Vice-Chancellor.

(f) Representatives of Students

Two students to be nominated by the Vice-Chancellor.

(g) Representatives of the Non-Teaching Staff

(i) Two members of non-teaching staff to be nominated by the Vice-Chancellor.

(ii) Two persons belonging to the Higher Education Department of the State of Madhya Pradesh to be nominated by the State Government.

(h) Remaining members of the Executive Council

Members of the Executive Council, who are not otherwise members of the Court.

Provided that no employee of the University or of a College or Institution affiliated to the University shall be eligible to be a member of the Court under Clause (d) & (e)

(2) All members of the Court, other than ex-officio members shall hold office for term of three years. Provided that the membership of Representatives of Students under clause (f) will be con-terminus with their studentship.

(3) One third of the total members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court'.

3. In the said Statutes, Statute 10, the clause (5) shall be omitted;

Note:- The Statute 10(5) was published in the Central Universities Act, 2009 vide Extraordinary Gazette Notification No. 25, Part.(II) Section-1 dated 20.03.2009. The Statute was the part of Central Universities Act, 2009.

Col. R. M. JOSHI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./507/19]

vf/kl puk

सागर, 11 मार्च, 2020

Qk- la- Mh,p,l th;@20@ifjfu;e@7@415.—केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की धारा 20 की उपधारा 1 सपठित धारा 27 की उपधारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद कुलाध्यक्ष की सहमति से एतद्द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियमों (डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय हेतु) में संशोधन हेतु निम्नलिखित परिनियम बनाती है :–

1- lf{kIr uke vkj ikjEHk &

(1) इन परिनियमों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय(संशोधन) परिनियम, 2019 (डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय हेतु) कहा जा सकेगा।

(2) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2- uhps nh xbZ rkfydk ds dkye 1 esa fofufn"V inksa gsrq p;u lfefr fuEu izdkj ls gksxh %

rkfydk

1		2
वरिष्ठ प्रोफेसर		विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर के पद हेतु चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :
	(i)	कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
	(ii)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामित शिक्षाविद जो वरिष्ठ प्रोफेसर/ न्यूनतम दस वर्ष के अनुभवी प्रोफेसर की रैंक से कम का न हों।
	(iii)	विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ जो वरिष्ठ प्रोफेसर या सम्बन्धित विषय/क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर की रैंक से कम के न हों।
	(iv)	संकाय के अधिष्ठाता(वरिष्ठ प्रोफेसर या न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर की रैंक से कम के न हों), जहाँ भी लागू हो।
	(v)	विभाग/अध्ययनशाला के अध्यक्ष/प्रमुख(वरिष्ठ प्रोफेसर या न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर की रैंक से कम के न हों) या वरिष्ठतम प्रोफेसर(वरिष्ठ प्रोफेसर या न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर की रैंक से कम के न हों)
	(vi)	यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांग श्रेणी से सम्बन्धित है और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है तो इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद (वरिष्ठ प्रोफेसर/न्यूनतम दस वर्ष के अनुभवी प्रोफेसर) को कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
	(vii)	nks ckº; fo"k; fo'ks"kK lfgr de-ls-de pkj lnL;ksa ls dksje iwjk gksxkA
प्रोफेसर		विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद हेतु चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :
	(i)	कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

	(ii)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामित शिक्षाविद जो प्रोफेसर की रैंक से कम का न हो।
	(iii)	विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।
	(iv)	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता, जहाँ भी लागू हो।
	(v)	विभाग/अध्ययनशाला के अध्यक्ष।
	(vi)	यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांग श्रेणी से सम्बन्धित है और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है तो इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
	(vii)	nk ckº; fo"k; fo'k"kK lfgr de-l-de pkj lnL;k l dkje ijk gkxkA
एसोसिएट प्रोफेसर		विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :
	(i)	कुलपति या उनके नामिति, जिनके पास प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे।
	(ii)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले एक शिक्षाविद जो प्रोफेसर रैंक से नीचे नहीं होगा।
	(iii)	विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।
	(iv)	सम्बंधित संकाय के अधिष्ठाता, जहाँ भी लागू हो।
	(v)	विभाग/अध्ययनशाला के अध्यक्ष।
	(vi)	यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांग श्रेणी से सम्बन्धित है और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है तो इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
	(vii)	nk ckº; fo"k; fo'k"kK lfgr de-l-de pkj lnL;k l dkje ijk gkxkA
असिस्टेण्ट प्रोफेसर		विश्वविद्यालय में असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पद हेतु चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :
	(i)	कुलपति या उनके नामिति, जिनके पास प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे।
	(ii)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले एक शिक्षाविद जो प्रोफेसर रैंक से नीचे नहीं होगा।
	(iii)	विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।
	(iv)	सम्बंधित संकाय के अधिष्ठाता, जहाँ भी लागू हो।
	(v)	विभाग/अध्ययनशाला के अध्यक्ष।
	(vi)	यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांग श्रेणी से सम्बन्धित है और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है तो इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
	(vii)	nk ckº; fo"k; fo'k"kK lfgr de-l-de pkj lnL;k l dkje ijk gkxkA
कुलसचिव/वित्ताधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक		विश्वविद्यालय में कुलसचिव/वित्ताधिकारी/परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति में कुलाध्यक्ष का एक नामिति, अध्यक्ष के रूप में कुलपति तथा नीचे

		विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे :
	(i)	कार्यपरिषद द्वारा नामित इसके दो सदस्य
	(ii)	कार्यपरिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो
	(iii)	यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांग श्रेणी से सम्बन्धित है और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है तो इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद/प्रशासक को कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
	(iv)	dyk/;{k d ukfefr lfgr mi;Dr ¼i½ o ¼ii½ l de l de 3 lnL;k l x.kifr gkxhA
पुस्तकालयाध्यक्ष		विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :
	(i)	कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
	(ii)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो प्रोफेसर से कम रैंक का न हो।
	(iii)	विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के तीन वि''ोषज्ञ जिनमें से एक कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्ष भी सम्मिलित है।
	(iv)	सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता, जहाँ भी लागू हो।
	(v)	विभाग/अध्ययनशाला के अध्यक्ष।
	(vi)	यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांग श्रेणी से सम्बन्धित है और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है तो इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद को कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
	(vii)	nk ckº; fo"k; fo'k"kK lfgr de-l-de pkj lnL;k l dkje ijk gkxkA
विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्थान के प्राचार्य		महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रोफेसर के पद हेतु चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :
	(i)	शासी निकाय के अध्यक्ष चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
	(ii)	महाविद्यालय के शासी निकाय के दो सदस्य जिनमें से एक अकादमिक प्रशासन का विशोषज्ञ हो। इन सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा।
	(iii)	कुलपति के दो ऐसे नामिति जो उच्चतर शिक्षा में सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के विशोषज्ञ हों, उनमें से कम-से-कम एक सदस्य ऐसा हो जो सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार से सम्बन्ध न रखता हो। यदि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिसूचित/ घोषित किया गया हो तो सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुशांसा पर उस समुदाय का एक नामिति जो विषय विशोषज्ञ हो।
	(iv)	उच्चतर शिक्षा के तीन विशेषज्ञ जिनमें किसी महाविद्यालय के प्राचार्य, एक प्रोफेसर एवं एक ख्यात शिक्षाविद, जो प्रोफेसर की रैंक से कम का न हो, सम्मिलित हैं।(इन्हें सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित छह विषय विशेषज्ञों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित किया जायेगा।)
	(v)	यदि कोई आवेदक अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांग श्रेणी से सम्बन्धित है और चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बन्धित नहीं है तो इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद को कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा।
	(vi)	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा अनुशांसित पाँच नामों के पैनल में से

		महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों। यदि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक अधिसूचित/घोषित किया गया है तो संगत सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा अनुशंसित अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित पाँच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित न हों।
	(vii)	nks fo'k"kKk lfgr ikp lnL;k l dkje dh ifr gkxhA

ukV 1 & यदि नियुक्तियाँ अन्तर-अनुशासनिक परियोजनाओं हेतु की जा रही हैं तो, परियोजना के अध्यक्ष को ही सम्बंधित विभाग का अध्यक्ष माना जायेगा।

3- कुलपति या उनके नामिति, यथा प्रकरण, चयन समिति की बैठकों का आयोजन व अध्यक्षता करेंगे :
परन्तु यह कि चयन समिति की बैठक यथा प्रकरण कुलाध्यक्ष के नामिति और कुलपति या कार्यपरिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों की सुविधानुसार पूर्व-परामर्श के बाद ही तय की जायेगी।
परन्तु यह भी कि चयन समिति की प्रक्रिया तब तक वैध नहीं मानी जायेगी जब तक कि यहाँ ऊपर विनिर्दिष्ट कोरम की पूर्ति नहीं हो जाती।

4- चयन समिति में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में निर्धारित की जायेगी।

5- यदि कार्यपरिषद चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को स्वीकार करने में असमर्थ है तो उसे इसके कारण रिकार्ड करने होंगे और अंतिम आदेश हेतु प्रकरण कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

6- अस्थायी पदों पर नियुक्तियाँ निम्नानुसार की जायेंगी :

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक अकादमिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए है तो इसे चयन समिति की सलाह पर पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी।

परन्तु यह कि यदि कुलपति को लगता है कि कार्य–हित में रिक्ति भरी जाना आवश्यक है तो उपखण्ड(ii) में उल्लेखितानुसार छह माह तक की अवधि के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सलाह पर की जा सकती है।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की अनुशंसा पर की जायेगी। समिति में सम्बंधित अध्ययनशाला के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष और कुलपति के एक नामिति सदस्य होंगे।

परन्तु यह कि यदि एक ही व्यक्ति अधिष्ठाता और विभागाध्यक्ष दोनों है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामिति सदस्य हो सकेंगे।

परन्तु यह भी कि देहावसान या अन्य किसी कारण से अचानक उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तियों के मामले में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के परामर्श से अधिष्ठाता एक माह के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकते हैं और ऐसी नियुक्ति की सूचना कुलपति और कुलसचिव को दे सकते हैं।

(iii) अस्थायी रूप से नियुक्त कोई भी शिक्षक, यदि उसकी अनुशंसा परिनियमों के तहत नियमित चयन समित द्वारा नहीं की जाती है। तो वह ऐसे अस्थायी सेवा में बना नहीं रह सकता है, जब तक कि वह उत्तरवर्ती यथाप्रकरण किसी स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु चयनित नहीं हो जाता।

ukV% मुख्य परिनियम केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत अधिसूचना सं 25 दिनांक 20 मार्च 2009 को प्रकाशित किए गए थे।

कर्नल राकेश मोहन जोशी, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./507/19]

NOTIFICATION

Sagar, the 11th March, 2020

F. No. dhsgu/20/Statute/7/415.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 read with sub-section (2) of section 27 of the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council of Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya with the assent of the Visitor, hereby makes the following Statutes to amend Central Universities' Statute (for Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya), namely:-

1. Short title and commencement -

(1) These Statutes may be called as the Central Universities (Amendment) Statutes (for Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya), 2019

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The Selection Committee for the posts specified in Column 1 of the Table below shall be as under:

TABLE

1	2
Senior Professor	The Selection Committee for the post of **Senior Professor** in the Vishwavidyalaya shall consist of the following persons: (i) Vice Chancellor shall be the chairperson of the Committee. (ii) An academician not below the rank of Senior Professor/ Professor with minimum ten years experience who is the nominee of the Visitor. (iii) Three experts not below the rank of a Senior Professor/Professor with a minimum of ten years' experience in the subject/field concerned nominated by the Vice Chancellor out of panel of names approved by the relevant statutory body of the Vishwavidyalaya. (iv) Dean (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) of the faculty, wherever applicable. (v) Head/Chairperson (not below the rank of a Senior Professor/ Professor with minimum ten years experience) or Senior-most Professor (not below the rank of Senior Professor/ Professor with a minimum of ten years experience) of the Department/School. (vi) An academician (not below the rank of a Senior Professor/ Professor with minimum ten years experience) representing SC/ ST/ OBC/ Minority/Women/ Differently - abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category. **(vii) At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.**
Professor	The Selection Committee for the post of **Professor** in the Vishwavidyalaya shall consist of the following persons: (i) The Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Committee. (ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor. (iii) Three experts in the subject concerned/field nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the

Vishwavidyalaya concerned.

(iv) Dean of the Faculty concerned, wherever applicable.
(v) Head / Chairperson of the Department/ School.
(vi) An academician belonging to the SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently - abled categories, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
(v) At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

Associate Professor

The Selection Committee for the post of **Associate Professor** in the Vishwavidyalaya shall consist of the following persons:

(i) The Vice Chancellor or his/her nominee, who has at least ten years of experience as Professor, shall be the Chairperson of the Committee.
(ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor.
(iii) Three experts in the subject/field concerned nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the Vishwavidyalaya.
(iv) Dean of the Faculty concerned, wherever applicable.
(v) Head/ Chairperson of the Department/ School.
(vi) An academician representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently- abled categories, if any of the candidates belong to any of these categories is an applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
(vii) At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

Assistant Professor

The Selection Committee for the post of **Assistant Professor** in the University shall consist of the following persons:

(i) The Vice Chancellor or his/her nominee, who has at least ten years of experience as Professor, shall be the Chairperson of the Committee.
(ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor.
(iii) Three experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university concerned.
(iv) Dean of the Faculty concerned, wherever

	applicable. (v) Head/ Chairperson of the Department/ School concerned. (vi) An academician representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Differently - abled categories to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates from any of these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category. **(vii) Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.**
Registrar/ Finance Officer/ Controller of Examinations	The Selection Committee for the post of **Registrar/ Finance Officer/ Controller of Examinations** in the Vishwavidyalaya shall consist of Vice chancellor as Chairperson, a nominee of the Visitor and the persons specified below: (i) Two members of the Executive Council nominated by it. (ii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council. (iii) An Academician/ Administrator representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-enabled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category. **(iv) At least three members from above (i) and (ii) including Visitor's nominee shall constitute the quorum.**
Librarian	The Selection Committee for the post of **Librarian** in the University shall consist of the following persons: (i) Vice Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee. (ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor (iii) Three experts in the subject/field concerned including practicing Librarian as one of the subject experts to be nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the Vishwavidyalaya concerned. (iv) Dean of the faculty, wherever applicable. (v) Head/Chairperson of the Department/ School. (vi) An academician belonging to the SC/ ST/ OBC/ Minority/Women/Differently-abled categories, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to

that category.

(vii) At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

Principal of College or Institution maintained by the University	The Selection Committee for the post of **College Principal** and **Professor** shall have the following persons: (i) Chairperson of the Governing Body to be the Chairperson. (ii) Two members of the Governing Body of the college to be nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academic administration. (iii) Two nominees of the Vice-Chancellor who shall be Higher Education experts in the subject/field concerned out of which at least one shall be a person not connected in any manner with the affiliating University. In case of Colleges notified/declared as minority educational institutions, one nominee of communities, recommended by the Vice Chancellor of the affiliating university of whom one should be a subject expert. (iv) Three Higher Education experts consisting of the Principal of a College, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body of the college out of a panel of six experts approved by the relevant statutory body of the university concerned). (v) An academician representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/Differently-abled categories if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category. (vi) Two subject-experts not connected with the college to be nominated by the Chairperson of the governing body of the college out of a panel of five names recommended by the Vice Chancellor from the list of subject experts approved by the relevant statutory body of the university concerned. In case of colleges notified/declared as minority educational institutions, two subject experts not connected with the University nominated by the Chairperson of the College governing body out of the panel of five names, preferably from minority communities, recommended by the Vice Chancellor from the list of subject experts approved by the relevant statutory body. **(vii) Five members, including two experts, shall constitute the quorum.**

Note:- Where the appointment is being made for an inter-disciplinary project, the head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.

3. The Vice Chancellor or his/her nominee, as the case may be, shall convene and preside at the meeting of the Selection Committee:

Provided that the meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Vice Chancellor or the Executive Council, as the case may be.

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless the quorum specified herein above is complete.

4. The procedure to be followed by the Selection Committee shall be laid down in the Ordinances.

5. If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by the Selection Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Visitor for final orders.

6. Appointments to temporary posts shall be made in the manner indicated below:

(i) If the temporary vacancy is for duration longer than one academic session, it shall be filled on the advice of the Selection Committee in accordance with the procedure indicated in the foregoing clauses:

Provided that if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interests of work it is necessary to fill the vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis on the advice of a local Selection Committee referred to in sub-clause (ii) for a period not exceeding six months.

(ii) If the temporary vacancy is for a period less than a year, an appointment to such vacancy shall be made on the recommendation of a local Selection Committee consisting of the Dean of the School concerned, the Head of the Department and a nominee of the Vice-Chancellor;

Provided that if the same person holds the offices of the Dean and the Head of the Department, the Selection Committee may contain two nominees of the Vice-Chancellor;

Provided further that in the case of sudden casual vacancies of teaching posts caused by death or any other reason, the Dean may, in consultation with the Head of the Department concerned, make a temporary appointment for a month and report to the Vice-Chancellor and the Registrar about such appointment.

(iii) No teacher appointed temporarily shall, if he is not recommended by a regular Selection Committee for appointment under the Statutes, be continued in service on such temporary employment, unless he is subsequently selected by a local Selection Committee or a regular Selection Committee, for a temporary or permanent appointment, as the case may be.

Note: The Principal Statutes were published under the Central Universities Act, 2009 vide notification no. 25 dated 20th March, 2009.

Col. R. M. JOSHI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./507/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.23 15:59:22 +05'30'